कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-19.09.2024

विषय:- **थाना शिवपुर क्षेत्रान्तर्गत गोली मारकर लूट कारित करने की घटना में वांछित 25 हजार का इनामिया अभियुक्त गुलशन कुमार थाना शिवपुर व एस0ओ0जी0 पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा घटना मे प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बिना नम्बर की बरामद।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी/लूट/हत्या की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के नेतृत्व में थाना शिवपुर एवं एस0ओ0जी0 पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में मुठभेड़ के दौरान मु0अ0सं0 310/2024 धारा 309(6)/310(2)/61(2)(a) बीएनएस से संबंधित 25 हजार के इनामिया अभियुक्त गुलशन कुमार पुत्र चंद्रकिशोर राय निवासी शास्त्रीनगर थाना कासिम बाजार जनपद मुंगेर बिहार को आज दिनांक-19.09.2024 को समय करीब समय करीब 01.05 बजे रिंग रोड से बांयी तरफ कानूडीह सरसवां लिंक रास्ते के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के पास से मौके से एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतुस 315 बोर तथा एक अदद मोटरसाइकल बिना नम्बर प्लेट की बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना शिवपुर में मु.अ.सं. 419/24 धारा 109 बीएनएस तथा मु.अ.सं. 420/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित कुल 05 नफर अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, ।

घटना का विवरण- दिनांक 23/07/2024 को श्री योगेश कुमार यादव पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण यादव निवासी ग्राम उपरौठ थाना औग़ाई जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही), भारत फाईनेंशियल जो कि इण्डसइण्ड बैंक का कलेक्शन का पैसा 1,01,500/- रु0, एक सैमसंग टेबलेट एवं एक बायोमैट्रिक मशीन एक बैग में रखकर जा रहे थे कि कानूडीह के पास खड़े 3 लोगों द्वारा श्री योगेश कुमार यादव की गाड़ी रोककर उनके पैर में गोली मारकर तथा बैग छीनकर भाग गये थे, जिसके सम्बन्ध में थाना शिवपुर में मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना उ0नि0 अजीत कुमार मिश्रा द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवरण पूछताछ-

अभियुक्त गुलशन कुमार से पूछताछ की गयी तो बताया कि मैने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ दिन पहले कानूडीह के पास एक आदमी जिसका नाम योगेश है जो कलैक्शन एजेन्ट है, को गोली मारकर लूट लिया था। मैंने अपने साथी ईश्वर प्रकाश, आदर्श गिरी, शिवा सोनकर व शनि सोनकर के साथ मिलकर योजना बनाई थी तथा दिनेश ने योगेश यादव के रुपये कलैक्ट करने की जानकारी दी थी। उस दिन योगेश के समूह से रुपये कलेक्शन करने की जगह सीमा देवी के घर पर ईश्वर प्रकाश कानूडीह में मौजूद था उसने ही हम लोगों को योगेश के रुपये लेकर निकलने की सूचना दी थी तथा मैं, शिवा सोनकर और आदर्श गिरी तीनों लोगों ने महात्मा गांधी विद्यालय के पास कलेक्शन एजेंट योगेश की गाड़ी रोकी, मैने उसे गोली मारी और हम लोगों ने मिलकर रुपये छीन लिये थे अन्य तीन साथी दिनेश सोनकर, समीर व शनि सोनकर सुपर स्पलेंडर मोटरसाइकिल से हम लोगों से कुछ दूरी पर खडे थे बैग छीनने के बाद हम लोग दोनों मोटरसाइकिल से रिंग रोड होते हुये अलग अलग दिशा में चले गये थे और इसके बाद कादीपुर में आदर्श गिरी के कमरे पर पहुंचकर हम लोगों ने लूट के रुपये आपस में बांट लिये थे ईश्वर प्रकाश भी आदर्श के कमरे पर आ गया था। लूट के रुपये शान शौकत में खर्च हो गये। पकड़े जाने के डर से हम लोग लूट करने व लूट का सामान ले जाने में बिना नं0 प्लेट की मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं। घटना में प्रयुक्त ग्लैमर मोटरसाइकिल के बारे में पूछा गया तो बताया कि शनि सोनकर ने किसी से गिरवी रखी थी उसी के पास मोटरसाइकिल व योगेश का टैबलेट है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

गुलशन कुमार पुत्र चंद्रकिशोर राय निवासी शास्त्रीनगर थाना कासिम बाजार जनपद मुंगेर बिहार उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर तथा 01 अदद खोखा कारतुस 315 बोर व एक अदद मोटरसाइकल बिना नम्बर प्लेट।

गिरफ्तार का दिनांक, समय व स्थान –

दिनांक 19.09.2024, समय करीब 01.बजे 05, रिंग रोड से बांयी तरफ कानूडीह सरसवां लिंक रास्ते के पास शिवपुर वाराणसी।

आपराधिक इतिहास-

1- मु.अ.सं. 310/2024 धारा 309(6)/310(2)/61(2)(a) बीएनएस थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2- मु.अ.सं. 419/2024 धारा 109 बीएनएस थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3-मु.अ.सं. 420/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

थाना शिवपुर पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक उदयवीर सिंह मय हमराह उ0नि0 चन्द्रभूषण, उ0नि0 अजीत मिश्रा ,हे0का0 शिवगोविन्द , हे0का0 विनीत कुमार पाण्डेय, हे0का0 हरिशंकर पाण्डेय, का0 संजय शुक्ला, का0 सुरेन्द्र मिश्रा काराकेश 0 कुमार

एसओजी टीम-

एसओजी प्रभारी मनीष कुमार मिश्रा, हे0का0 विजय शंकर राय, हे0का0 ब्रह्मदेव सिंह, हे0का0 प्रमोद सिंह ,का0 आलोक कुमार मौर्य ,का0 रमाशंकर यादव , का0 मयंक त्रिपाठी, हे0का0 उमेश सिंह।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।